



राष्ट्रीय बीज परियोजना

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

Email-nspbikaner@gmail.com

F. No. ()/NSP/SKRAU/NIT/2025-26/ 445

Date: 09.05.2025

कृषि भूमि कास्त बाबत निविदा सूचना 06/2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज परियोजना, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के बीज उत्पादन फार्मों को "जहाँ हैं जैसे हैं" की स्थिति में वर्ष 2025-26 (खरीफ 2025 व रबी 2025-26) के लिये निम्नलिखित फार्म कास्त बाबत वार्षिक अनुबन्ध पर देने के लिए सीलबंद/मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कास्त बाबत वार्षिक अनुबन्ध पर दिये जाने वाले क्षेत्र व फार्मों का विवरण राजस्व रिकार्ड अनुसार निम्न प्रकार से है। क्षेत्र व फार्मों से सम्बंधित विस्तृत जानकारी अतिरिक्त निदेशक अनुसंधान (बीज) अथवा फार्म के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

1. विश्वविद्यालय बीज फार्म, बीछवाल, बीकानेर

क्र. सं.	चक संख्या	कुल भूमि (हैक्टर)	कमान्ड (हैक्टर)	अनकमान्ड (हैक्टर)	न्यूनतम निविदा राशि (रु.)	धरोहर राशि (रु.)	निविदा फार्म शुल्क (रु.)
1	3 बीकेएम व 1 बीएसएम	75.00	35.00	40.00	22,00,000	1,10,000	500

निविदा फार्म नगद रुपये 500/- जमा करवाकर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति/निविदादाता अपनी दरें, निर्धारित फार्म में भरकर मय धरोहर राशि डी.डी. जो कि ASSOC. DIR. RES. (GP) REV. FUND के नाम से देय होगा, बनाकर अतिरिक्त निदेशक अनुसंधान (बीज), राष्ट्रीय बीज परियोजना, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कार्यालय में दिनांक 19.05.2025 को दोपहर 1:00 बजे तक जमा करवा सकते हैं। प्राप्त निविदाएं उसी दिन बाद दोपहर 02:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष गठित कमेटी द्वारा खोली जायेगी।

निविदादाताओं द्वारा भरी गयी निविदा राशि न्यूनतम निविदा राशि से कम पायी जाने पर कमेटी द्वारा दिनांक 19.05.2025 को खुली बोली लगवाई जायेगी।

निविदा से सम्बंधित विस्तृत जानकारी वेब साईट www.raubikaner.org, <http://sppp.rajasthan.gov.in> से प्राप्त की जा सकती है। किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

(Signature)
9/5/25

अतिरिक्त निदेशक अनुसंधान (बीज)

ADR (Seed), NSP,
SKRAU, BIKANER

निविदा शर्तें व नियम

1. निविदादाता मानसिक रूप से स्वस्थ व अच्छे चाल-चलन वाला, जिसका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं हो, होना चाहिए और वह किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिये।
2. निविदा से सम्बंधित विस्तृत जानकारी वेब साईट www.raubikaner.org <http://sppp.rajasthan.gov.in> से प्राप्त की जा सकती है। क्षेत्र व फार्मों से सम्बंधित विस्तृत जानकारी अतिरिक्त निदेशक अनुसंधान (बीज) अथवा संबन्धित फार्म के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
3. निर्धारित निविदा फार्म के साथ में धरोहर राशि व निविदा फार्म शुल्क ASSOC. DIR. RES. (GP) REV. FUND का डी.डी. कार्यालय में निर्धारित समय पर जमा करना अनिवार्य होगा।
4. जिस निविदादाता के नाम खुली बोली स्वीकृत होगी उसे बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि उसी दिन जमा करवानी होगी।
5. उच्चतम बोलीदाता को कुल राशि का 40 प्रतिशत (धरोहर राशि के अतिरिक्त) कार्यालय द्वारा जारी कार्यादेश के 10 दिन के अन्दर कार्यालय में डी.डी. अथवा NEFT आदि के माध्यम से जमा करवानी होगी तथा शेष 40 प्रतिशत राशि का अग्रिम स्वयं हस्ताक्षरित चैक बतौर सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवाना होगा। अग्रिम चैक अनुबन्ध राशि कार्यालय में डी.डी. अथवा NEFT आदि के माध्यम से जमा करवाने तक जमा रहेगा। शेष 40 प्रतिशत वार्षिक अनुबन्ध राशि कार्यालय में डी.डी. अथवा NEFT आदि के माध्यम से 30 नवम्बर 2025 तक कार्यालय में जमा करवानी होगी। शेष 40 प्रतिशत देरी से जमा होने पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा।
6. निविदा फार्म के साथ आधार कार्ड अथवा अन्य फोटो पहचान पत्र व निवास प्रमाण पत्र हेतु राजकीय प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि व पासपोर्ट आकार का फोटो स्वयं हस्ताक्षरित लगाना आवश्यक है अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। तथा निविदाकर्ता द्वारा फार्म पर रखे गये श्रमिकों का आधार कार्ड कार्यालय में जमा करवाने होंगे। निविदादाता/बोलीदाता की तरफ से काउण्टर शर्तें मान्य नहीं होगी। देरी से/फैक्स/ईमेल से प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. आधार, बैंक खाते का विवरण व पैन कार्ड की प्रमाणित फोटो कॉपी निविदा फार्म के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
8. विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.raubikaner.org) एवं SPPP Portal (www.sppp.rajasthan.gov.in) पर निविदा मात्र अवलोकनार्थ अपलोड की गयी है।
9. 100 रु. के स्टॉम्प पर फर्म किसी राजकीय कार्यालय की काली सूची में नहीं है का शपथ पत्र देना होगा।
10. काशत बाबत वार्षिक अनुबन्ध पर दिया जाने वाले क्षेत्र व फार्मों का विवरण राजस्व रिकार्ड अनुसार है। कृषि फार्मों को मोके पर उपलब्ध क्षेत्र व "जहाँ हैं जैसे हैं" की स्थिति के लिये काशत बाबत वार्षिक अनुबन्ध पर दिया जा रहा है।
11. वार्षिक अनुबन्ध की अवधि वर्ष 2025-26 (खरीफ 2025 व रबी 2025-26) होगी व अवधि समाप्त होने की तारीख 20 मई 2026 होगी। खरीफ 2025 उपरान्त प्रभारी अधिकारी से कार्य के संतोषजनक सम्पादन का प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके अभाव में कार्य अवधि के बीच में ही कार्य आदेश निरस्त किया जा सकता है। साथ ही कार्यालय में जमा राशि व धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।
12. निविदादाता/बोलीदाता को "जहाँ हैं जैसे हैं" की स्थिति में काशत के लिये वार्षिक अनुबन्ध पर दिया जा रहा है। कृषि हेतु आवंटित सम्पूर्ण प्रक्षेत्र की फसलों को खरपतवार रहित रखने का उत्तरदायित्व निविदादाता का रहेगा अन्यथा कार्यालय द्वारा कार्य करवा लिया जाएगा जिसका भुगतान निवेदादाता को करना होगा। वार्षिक अनुबन्ध अवधि समाप्त होने की तारीख 20 मई 2026 होगी। इस तारीख तक फार्म को सही हालत में सभी समान (सम्पूर्ण चल व अचल संपत्ति सहित) सुरक्षित फार्म अधिकारी को सुपूर्द करना होगा।
13. निविदादाता/बोलीदाता की तरफ से फार्म पर काम करने वाले श्रमिकों की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता/बोलीदाता की होगी। कार्य के दौरान स्वयं और श्रमिक के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। किसी भी परिस्थिति में क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। फार्म पर किसी भी प्रकार की कृषि कार्य के अलावा अन्य गतिविधि/कार्य वर्जित रहेगा व साथ ही मादक पदार्थों का सेवन भी वर्जित है ऐसी स्थिति पाये जाने पर वार्षिक अनुबन्ध निरस्त कर अमानत राशि/धरोहर राशि जप्त कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
14. निविदादाता/बोलीदाता को विश्वविद्यालय फार्म पर बोई जाने वाली फसलों की पूर्वानुमति फार्म प्रभारी से लेनी होगी तथा प्रतिबंधित फसल की खेती नहीं की जाएगी। फार्म क्षेत्र का कृषि के अलावा प्रयोग को अवैध गतिविधि मानकर वार्षिक अनुबन्ध निरस्त कर अमानत राशि/धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।
15. निविदादाता/बोलीदाता द्वारा फार्म/कार्यालय की बिजली का उपयोग करने पर राज्य सरकार/जोधपुर डिस्कॉम द्वारा निर्धारित दर से बिल भुगतान करना होगा। बिल भुगतान की रसीद कार्यालय में समय-समय पर जमा करवानी होगी। तथा मीटर इत्यादि की छेड़छाड़ की दशा में पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/बोलीदाता की होगी।
16. निविदादाता/बोलीदाता को विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार फार्म प्रभारी की देखरेख में करीब 50% फार्म पर बीज उत्पादन लेना आवश्यक होगा। बीज उत्पादन हेतु बुवाई के लिये बीज के बदले बीज या बीज की गुणवत्ता अच्छी न

- होने पर निविदादाता/ बोलीदाता को नियमानुसार बीज की कीमत अदा करनी होगी। बीज उत्पादन कार्यक्रम की रोगिंग अनिवार्य रूप से की जावेगी। रोगिंग में लगने वाले तकनीकी कर्मचारी व मजदूर कार्यालय के होंगे।
17. केंद्र द्वारा निर्धारित बीज उत्पादन निविदादाता/ ठेकेदार को अवश्य करना होगा तथा निर्धारित कमेटी द्वारा सिफारिश करने के बाद ही गुणवत्तायुक्त रॉ बीज (unprocessed seed) विश्व विद्यालय के प्रोसेसिंग प्लांट पर ही लिया जायेगा तथा भाड़ा एवं अन्य मजदूरी का भुगतान निविदादाता/ ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। रॉ बीज के बदले स्थानीय कृषि उपज मण्डी के उस सप्ताह जिस सप्ताह (7 दिन) में बीज कार्यालय में प्राप्त हुआ है, के औसत भाव का औसत या सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भी ज्यादा हो का भुगतान किया जायेगा। विश्वविद्यालय केन्द्रिय फार्म खारा, बीकानेर तथा विश्वविद्यालय बीज फार्म, बीछवाल बीकानेर के बीजों पर बीकानेर मंडी की दरें लागू होगी।
 18. बीज उत्पादन की फसलों को खरपतवार, कीट, व्याधि, पक्षियों एवं जंगली जनवारों से होने वाले नुकसान से सुरक्षित रखने का दायित्व निविदादाता का होगा एवं वही पूरा व्यय वहन करेगा। यदि निविदादाता समय पर उपरोक्त कारणों से फसल की सुरक्षा नहीं करता है तो कार्यालय अपने स्तर पर उक्त कार्य करवायेगा तथा इस पर हुये सम्पूर्ण व्यय को निविदादाता से वसूला जाएगा।
 19. बीज उत्पादन की फसल के पकाव उपरान्त समय पर कटाई व थ्रेसिंग निविदादाता को करवानी है जिससे बीज उत्पादन फसल की उपज में नुकसान न हो। समय पर कटाई व थ्रेसिंग न होने पर कार्यालय अपने स्तर पर उक्त कार्य करवायेगा तथा इस पर हुये सम्पूर्ण व्यय को निविदादाता से वसूला जाएगा।
 20. निविदादाता को फार्म की तरफ से कोई आदान व संसाधन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। समस्त आदान व संसाधन निविदादाता/बोलीदाता के ही होंगे। फार्म प्रभारी को सूचित किये बिना फार्म का कोई सामान/उत्पाद को निविदादाता/बोलीदाता फार्म से बाहर नहीं ले जा सकेगा।
 21. काश्त के लिये ठेके पर दिये गये फार्म क्षेत्र में किसी प्रकार के नुकसान की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता/बोलीदाता की होगी। फार्म पर पेड़ पौधे व अन्य सम्पत्ति को निविदादाता/बोलीदाता या उसके श्रमिक द्वारा नुकसान पहुंचाने पर उसकी भरपाई निविदादाता/बोलीदाता से की जायेगी।
 22. उत्पादित बीज निर्धारित कमेटी द्वारा बीज के रूप में उपयुक्त पाये जाने पर निविदादाता उक्त बीज कार्यालय को देने के लिए बाध्य होगा। अपने स्तर पर बीज का कमेटी की अनुशंसा बिना अन्य कही निस्तारण नहीं कर सकता।
 23. निविदादाता द्वारा कार्य क्षेत्र में कोई स्थाई/अस्थायी निर्माण नहीं किया जा सकेगा। निविदादाता फार्म क्षेत्र में कोई पशु नहीं रख सकेगा। ऐसा पाये जाने पर वार्षिक अनुबन्ध निरस्त कर अमानत राशि/धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।
 24. निविदादाता/बोलीदाता को सिंचाई के लिये उपलब्ध जल तथा फार्म क्षेत्र का समुचित सदुपयोग करना होगा। फार्म पर सिंचाई के लिये उपलब्ध पानी को सबलेट नहीं किया जा सकेगा। नहरी खालों की सफाई निविदादाता/बोलीदाता को करवानी होगी वरना वार्षिक अनुबन्ध निरस्त कर अमानत राशि/धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।
 25. निविदादाता/बोलीदाता को प्रत्येक बीज उत्पादन फार्म के लिये अलग - अलग निविदा भरनी होगी।
 26. सफल निविदादाता/बोलीदाता को कार्य शुरू करने से पहले 500 रुपये कीमत के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर निविदा की सभी शर्तों स्वीकार करने का शपथ पत्र नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर अतिरिक्त निदेशक अनुसंधान (बीज), राष्ट्रीय बीज परियोजना स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कार्यालय में जमा करवाना होगा।
 27. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय का क्षेत्र बीकानेर होगा।

अतिरिक्त निदेशक अनुसंधान (बीज)

राष्ट्रीय बीज परियोजना

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
ADR (Seed), NSP,
SRAB, BIKANER

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैंने निविदा में वर्णित सभी शर्तों को पढ़ लिया है और अच्छी तरह समझ लिया है। मैं उल्लेखित सभी शर्तों पर कार्य करने के लिये पूर्ण रूप से सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

शपथ पत्र

(500 रुपये कीमत के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं.....पुत्र श्री.....निवासी.....
.....शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ
कि मैंने निविदा में वर्णित सभी शर्तों को पढ़ लिया है और अच्छी तरह समझ लिया है। मैं
उल्लेखित सभी शर्तों पर कार्य करने के लिये पूर्ण रूप से सहमत हूँ।

मैं.....पुत्र श्री.....निवासी.....
.....शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ व अच्छे चाल-चलन
वाला हूँ मेरा कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है और ना ही मैं किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा
दिवालिया घोषित हुआ हूँ।

मैं.....पुत्र श्री.....निवासी.....
.....शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ
कि आवंटित सम्पूर्ण प्रक्षेत्र को खरपतवार व जंगली झाड़ियों रहित रखना व खालें तथा डिग्गी
के चारों तरफ साफ सफाई रखुंगा। वार्षिक अनुबन्ध अवधि समाप्त होने की तारीख 20 मई
2026 तक फार्म को सही हालत में सभी समान सहित सुरक्षित फार्म अधिकारी को सुपूर्द कर
दुंगा।

मैं.....पुत्र श्री.....निवासी.....
.....शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ
कि फार्म पर काम करने वाले श्रमिकों की समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। कार्य के दौरान स्वयं
और श्रमिक के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।

मैं.....पुत्र श्री.....निवासी.....
.....शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ
कि फार्म पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि और कार्य नहीं किया जायेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक.....

स्थान.....

नाम

पता.....

मोबाइल नं.....

15/9

राष्ट्रीय बीज परियोजना, बीकानेर
स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर-334006

अतिरिक्त निदेशक अनुसंधान (बीज)
राष्ट्रीय बीज परियोजना
स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

निविदादाता/ठेकेदार का नाम (फोटो पहचान पत्र प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि तथा पासपोर्ट आकार का फोटो स्वयं हस्ताक्षरित लगावे),
निविदादाता/ठेकेदार का पता (राजकीय मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लगावे),

धरोहर राशी डी.डी. न० रकम बैंक का नाम व शाखा

निविदा फार्म शुल्क डी.डी. न० रकम बैंक का नाम व शाखा

निविदा फॉर्म शुल्क डा.डा. 10			
क्र.सं.	चक का नाम	निविदादाता द्वारा प्रस्तावित राशी	
		अंको मे (रु)	शब्दो मे (रु)
विश्वविद्यालय बीज फार्म, बीछवाल			
1	3 बीकेएम व 1 बीएसएम		

मैंने निविदा में वर्णित सभी शर्तों को पढ़ लिया है और अच्छी तरह समझ लिया है। मैं उल्लेखित सभी शर्तों पर कार्य करने के लिये पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मैं मानसिक रूप से स्वस्थ व अच्छे चाल-चलन वाला हूँ मेरा कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है और ना ही मैं किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा दिवालिया घोषित हुआ हूँ।



हस्ताक्षर निविदादाता मय पता